



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112025-267600
CG-DL-E-12112025-267600

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4973]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4973]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5129(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की टेरेफथेलिक एसिड से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 5437(अ), दिनांक 24 दिसंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 28 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****ORDER**

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5129(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 5437 (E), dated the 24th December, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th December, 2021, relating to Terephthalic Acid with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5130(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एथिलीन ग्लाइकोल से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 5435(अ), दिनांक 24 दिसंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 28 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5130(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 5435 (E), dated the 24th December, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th December, 2021 relating to Ethylene Glycol with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5131(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन, ग्रे एंड व्हाइट यार्न से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3195(अ), दिनांक 17 जुलाई, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग

II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 17 जुलाई, 2023 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5131(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 3195(E), dated the 17th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 17th July, 2023, relating to 100 Percent Polyester Spun, Grey and White Yarn with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5132(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (आईडीवाई) से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 1652(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5132(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 1652(E), dated the 5th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 6th April, 2022, relating to the Polyester Industrial Yarn (IDY) with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5133(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (पीएसएफ) से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 1651(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5133(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 1651(E), dated the 5th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 6th April, 2022, relating to Polyester Staple Fibres (PSF) with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5134(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पॉलिएस्टर कांटीनियुस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3193(अ), दिनांक 17 जुलाई, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 17 जुलाई, 2023 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5134(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 3193(E), dated the 17th July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 17th July, 2023, relating to Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5135(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पॉलिएस्टर पारशियली ओरिएण्टेड यार्न से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3194(अ), दिनांक 17 जुलाई, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 17 जुलाई, 2023 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5135(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 3194(E), dated the 17th July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 17th July, 2023, relating to Polyester Partially Oriented Yarn with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5136(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पॉलिएथिलीन मैटेरियल फॉर मोल्डिंग एंड एक्सट्रूजन से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 1647(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5136(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 1647(E), dated 5th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated 6th April, 2022, relating to Polyethylene Material for Moulding and Extrusion with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5137(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3927(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 22 सितंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5137(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 3927(E), dated the 13th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd September, 2021, relating to Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5138(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मोल्लिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलिप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 921(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 27 फरवरी, 2024 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5138(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O 921 (E), dated the 26th February, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th February, 2024, relating to Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5139(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 920(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 27 फरवरी, 2024 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5139(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O 920 (E), dated the 26th February, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 27th February, 2024, relating to Polyvinyl Chloride (PVC) Homopolymers with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5140(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) कोपॉलीमर्स से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 1643(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5140(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 1643(E), dated the 5th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 6th April, 2022, relating to Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Copolymers with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5141(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पॉलीयुरेथेनेस से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3931(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 22 सितंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5141(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 3931(E), dated the 13th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd September, 2021, relating to Polyurethanes with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5142(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पॉलीकार्बोनेट से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3930(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 22 सितंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5142(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 3930(E), dated the 13th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd September, 2021, relating to Polycarbonate with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.